

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय

जयपुर

दिनांक: 03.12.2021

पत्र:631ई/1/प्रका/समापन/पेंशन अदालत/2015 भाग-1

विषय:-वर्ष 2021 की पेंशन अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 01. रेलवे बोर्ड का पत्र स. ई(डब्ल्यू)2011/पीए-1/4दिनांक 20.12.2011 तथा

ई(डब्ल्यू)2020/पीए-1/4 दिनांक 11.12.2020

02. इस कार्यालय का सम संख्यक पत्र दिनांक 12.10.2021

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार प्रधान कार्यालय से सेवानिवृत्त अथवा सेवा के दौरान मृतक रेल कर्मचारियों को अथवा उनके परिवारजनों को पेंशन अथवा परिवार पेंशन के बारे में शिकायतों के निराकरण के लिए दिनांक 15.12.2021 को 11.00 बजे सभा कक्ष प्रथम तल प्रधान कार्यालय जयपुर में पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

इस पेंशन अदालत में भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके परिवारजन, पेंशन तथा परिवार पेंशन से सम्बन्धित अपनी शिकायत के लिए दिनांक 12.12.2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन का प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न है, साथ ही आवेदन के साथ पी.पी.ओ.की स्वप्रमाणित प्रति इसके अलावा अपनी शिकायत का पूर्ण विवरण दे साथ ही उसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करे, दिनांक 12.12.2021 तक प्राप्त आवेदनों पर ही कार्यवाही की जायेगी इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर इस पेंशन अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3-12-2021
(धर्म सिंह मीना)
कृतेमहाप्रबन्धक/का.
उपरे/जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय में पेंशन अदालत हेतु
आवेदन फॉर्म

01. पेंशनर/परिवार पेंशनर का नाम :-

02. सेवा निवृत्ति तिथि :-

03. कर्मचारी/पेंशनर मृत्यु तिथि :-

04. घर का पता :-

05. मोबाईल नम्बर :-

06. ईमेल आई.डी. होतो :-

07. शिकायत का विवरण :-

08. पेंशन/परिवार पेंशन न मिलने का कारण ज्ञात हो तो अंकित करे :-